

# राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम)

10-बी, संस्थागत क्षेत्र, झालाना हूँगरी, जयपुर-302004

फोन. न० 0141-2709827/2701349/2710072 फैक्स न०-91-0141-2710072

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम/प्रशिक्षण/2018-19/ 2371

दिनांक : 17/5/19

## आदेश

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान (राइसेम) द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निधि के अन्तर्गत आरसीडीएफ/यूनियन के मिडिल लेवल अधिकारियों हेतु दिनांक 15.05.19 से 17.05.19 तक "Management Development Programme" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों को आज दिनांक 17.05.19 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति देवें।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद एवं पदस्थापन	उपस्थिति दिनांक
1.	श्री निरंजन माथुर	सहायक प्रबन्धक, अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	15.05.19
2.	श्री आर.के. बावेजा	सहायक प्रबन्धक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ़	15.05.19
3.	श्री अमर सिंह	उप प्रबन्धक (प्लान्ट), गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ़	15.05.19
4.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	LSSI I/c Actt/Mkt, सर्वाईमाधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	15.05.19
5.	श्रीमती आशा शर्मा	उप प्रबन्धक, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	16.05.19
6.	श्रीमती संगीता	एएओ, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	16.05.19
7.	श्री गोपा कुमार पी	क्षेत्रीय अधिकारी, सीकर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	16.05.19
8.	श्री आर.के. विजय	ए.एम. (पी), जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	17.05.19
9.	श्रीमती कन्नू शर्मा	डी.एस., जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	17.05.19
10.	श्रीमती कामिनी जुल्का	कनिष्ठ लिपिक, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	17.05.19
11.	श्रीमती सुनिता	निजी सहायक, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.	17.05.19

अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक फा.8पी( )राइसेम/प्रशिक्षण/2018-19/ 2372 -2390

दिनांक : 17/5/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
02. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.), सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
03. प्रबन्ध निदेशक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. ....
04. अति. निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा शाखा/स्टोर शाखा/छात्रावास अधीक्षक ।
05. गार्ड पत्रावली ।

सत्र संयोजक